



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2019/वैशाख 20, 1941

No. 297]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2019/VAISAKHA 20, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सं. 10 /2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा. का. नि. 354(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्ट में जहां-जहां भी अंक और अक्षर “10” आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर “20” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर “10” के स्थान पर अंक और अक्षर “20” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/32/2019-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2019-केन्द्रीय कर (दर), सा.का.नि. 250 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2019

No. 10/2019-Central Tax (Rate)

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters “10th”, wherever they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted;
- (ii) in Annexure IV, for the figures and letters “10th”, at both the places where they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted.

[F. No. 354/32/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 3/2019-Central Tax (Rate), dated the 29th March, 2019, published *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 29th March, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सं. 9 /2019-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 355(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्यों (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (विभाग राजस्व) अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) की प्रविष्टि में जहां-जहां भी अंक और अक्षर “10” आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर “20” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर “10” के स्थान पर अंक और अक्षर “20” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 354/32/2019-टीआरयू]

रूचि विष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 3/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2019

No. 9/2019-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters “10th”, wherever they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted;
- (ii) in Annexure IV, for the figures and letters “10th”, at both the places where they occur, the figures and letters “20th” shall be substituted.

[F. No. 354/32/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 3/2019-Integrated Tax (Rate), dated the 29th March, 2019 vide number G.S.R. 256 (E), dated the 29th March, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सं. 10 /2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 356(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv), खंड (v) और खंड (xxvii) के तहत शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केंद्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्ट में जहां-जहां भी अंक और अक्षर "10" आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर "20" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर "10" के स्थान पर अंक और अक्षर "20" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फ. सं. 354/32/2019-टीआरयू]

रूचि विष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2019, संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), सा.का.नि. 262 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2019

No. 10/2019-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 356(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, against serial number 3, in items (ie) and (if), in the entries in column (5), for the figures and letters "10th", wherever they occur, the figures and letters "20th" shall be substituted;
- (ii) in Annexure IV, for the figures and letters "10th", at both the places where they occur, the figures and letters "20th" shall be substituted.

[F. No. 354/32/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 3/2019-Union Territory Tax (Rate), dated the 29th March, 2019 published *vide* number G.S.R. 262 (E), dated the 29th March, 2019.